

विषय:- राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन के संबंध में।

राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों/ सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं0-185(13) दिनांक 31.07.2023 एवं 13(13) दिनांक 24.01.2025 द्वारा राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदत्त है। विदित हो कि राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे राज्य में 01 मार्च 2025 से लागू कर दी गई है तथा 01 मार्च 2025 के पश्चात् होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

2. राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के 01मार्च 2025 से लागू होने के पश्चात् लाभुकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के दौरान कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जैसे, बीमा के तहत सीमित पैकेज निर्धारण, कई पैकेजों की राशि काफी कम होना, निर्धारित सभी पैकेजों के तहत सभी रोगों की चिकित्सा सूचीबद्ध चिकित्सा संस्थान द्वारा नहीं किया जाना इत्यादि। विदित हो कि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं0-67(13) दिनांक 14.03.2024 द्वारा आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत सूचीबद्ध सभी अस्पताल राज्य कर्मियों/ पदाधिकारियों की चिकित्सा हेतु भी सूचीबद्ध किये गये थे किन्तु बीमा कम्पनी द्वारा उक्त अस्पतालों को सूचीबद्ध नहीं किया जा सका है।
3. राज्य के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आकस्मिक स्थिति में तत्काल कैशलेस चिकित्सीय लाभ प्राप्त हो तथा सुगम एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई थी परंतु राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन में कतिपय त्रुटियाँ/कमियाँ परिलक्षित हुई हैं तथा राज्य के विभिन्न पदाधिकारियों/कर्मियों एवं संघों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत व्याप्त त्रुटियों/कमियों के निराकरण करने का अनुरोध भी किया गया है।
4. अतः उक्त के आलोक में राज्य के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों/ सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेहतर एवं सुगम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इस योजना के क्रियान्वयन में आ रही कमियों/त्रुटियों का निराकरण करते हुए राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु स्वास्थ्य विभाग के संकल्प सं0-13(13) दिनांक 24.01.2025 में निम्न संशोधन किया जाता है:-

1. (a) Category B में उल्लेखित सभी कर्मी/सेवानिवृत्त कर्मी एवं उनके आश्रित/पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता इस योजना के लाभुक होंगे।


(b) विधानसभा के माननीय सदस्यों को Category A से Category B में शामिल किया जायेगा। अगर माननीय सदस्य Category B का लाभ प्राप्त नहीं करते हैं तो चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु स्वास्थ्य विभागीय पूर्व के संकल्प प्रभावी रहेंगे।

II. यदि किसी कारणवश बीमा कंपनी का चयन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी द्वारा निविदा के माध्यम से Third Party Assurance (TPA) का चयन करते हुए इस योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। इस बीच झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी की Capacity









building की जायेगी एवं तीन वर्षों के अन्दर सीधे TPA के माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। अस्पतालों को सूचीबद्ध करने की कार्यवाही झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी द्वारा की जाएगी।

iii. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-13(13) दिनांक 24.01.2025 के तहत Category 'A', 'B' एवं 'C' के लाभुकों एवं उनके आश्रितों के लिए निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे :-

- a) राज्यकर्मि स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इस योजना के लाभुकों के लिए झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी द्वारा सभी चिकित्सा संस्थानों में CGHS के अनुरूप Procedure/ दर का निर्धारण करते हुए चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी। जबकि केन्द्र एवं राज्यों के सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों (स्वायत्तता संस्थानों सहित) में वास्तविक भुगतान के आधार पर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी।
- b) कुछ बड़े एवं प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान जो CGHS की दर पर चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं करते हैं अथवा इस योजना में सूचीबद्ध भी नहीं हैं, वैसे चिकित्सा संस्थानों के उनके वास्तविक दर पर ही चिकित्सा व्यय का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित बीमित राशि के अंतर्गत किया जाएगा। उक्त हेतु चिकित्सा संस्थानों की सूची निम्न है :-
 - (i) CMC Vellore
 - (ii) AIG Hyderabad
 - (iii) All Hospitals of Tata Group
 - (iv) ILBS, New Delhi
 - (v) Rajiv Gandhi Cancer Institute & Research Centre, Rohini/Nitibag, Delhi
 - (vi) Narayana Institute of Cardiac Sciences Bengaluru
 - (vii) Apollo Hospital, Chennai
 - (viii) Medanta, The Medicity, Gurgaon
 - (ix) Indian Spinal Injuries Centre, Vasant Kunj, New Delhi
 - (x) National Heart Institute, New Delhi
 - (xi) Sankara Nethralaya Chennai & Kolkata
 - (xii) Narayana Health, Bangalore
 - (xiii) B.M. Birla Hospital, Kolkata

उक्त सूची में भविष्य में आवश्यकतानुसार माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के अनुमोदनोपरान्त चिकित्सा संस्थानों को शामिल/संशोधित किया जा सकेगा।

- c) राज्य कर्मि स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी लाभुकों को सरकारी अथवा गैर सरकारी चिकित्सा संस्थान में Semi Private वार्ड में चिकित्सा अनुमान्य होगी। उक्त से इत्तर Private वार्ड में चिकित्सा कराने की स्थिति में भी Semi Private वार्ड का शुल्क ही देय होगा, किन्तु स्वयं के द्वारा अंतर राशि का भुगतान कर लाभुक Private वार्ड में चिकित्सा करा सकते हैं। Emergency/Accidental Case में Semi Private वार्ड उपलब्ध नहीं रहने पर Higher वार्ड में चिकित्सा अनुमान्य होगा।
- d) यदि योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है तो ऐसी स्थिति में CGHS दर को आवश्यकतानुसार Revise करने की शक्ति झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के पास रहेगी। किसी रोग विशेष के लिए CGHS दर के अतिरिक्त अन्य दर का निर्धारण झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी अपने स्तर से कर सकेगा। CGHS दर के अतिरिक्त अन्य दर के अंतर राशि का

संख्या 13-06/3
13-09.01.2026

22

23

24

भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी द्वारा उपलब्ध कराये गये रिवोल्विंग फण्ड (Revolving Fund) से किया जायेगा।

- e) राज्य कर्मियों/सेवानिवृत्त कर्मियों के दुर्घटनाग्रस्त अथवा मरणासन्न स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल उच्चतर संस्थान में उपचार हेतु रेफर किये जाने की स्थिति में एयर एम्बुलेंस/वायुयान यात्रा की स्वीकृति/घटनोत्तर स्वीकृति झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के स्तर पर गठित समिति द्वारा Virtual/Physical mode में प्रदान की जाएगी, जिसका भुगतान झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के द्वारा संधारित कॉरपस फण्ड (Corpus fund) से देय होगा।
- f) सभी चिकित्सा संस्थानों (सूचीबद्ध तथा गैर सूचीबद्ध) में कराये गये चिकित्सा की 5 लाख रु0 तक (सामान्य बीमारी मामले में) एवं 10 लाख रु0 तक (चिन्हित गंभीर बीमारी के मामले में) की प्रतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित बीमित राशि अंतर्गत किया जाएगा। बीमा कम्पनी के बदले जब TPA के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा, वैसी स्थिति में चिकित्सा की सभी राशि का भुगतान झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के कॉरपस फण्ड (Corpus fund) से किया जायेगा।

IV. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-13(13) दिनांक-24.01.2025 के तहत Category 'A' एवं 'B' के लाभुकों एवं उनके आश्रितों के लिए निम्नलिखित प्रावधान भी लागू होंगे :-

- a) अस्पतालों में चिकित्सा के लिए बीमित राशि के अतिरिक्त होने वाले चिकित्सा व्यय का भुगतान झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के कॉरपस फण्ड (Corpus fund) की राशि से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी सरकारी एवं कंडिका-4(III)(b) में वर्णित चिकित्सा संस्थानों में बीमित राशि से अधिक चिकित्सीय व्यय होने की स्थिति में भुगतान झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के कॉरपस फण्ड (Corpus fund) से उपलब्ध कराई गयी रिवोल्विंग फण्ड से वास्तविक दर पर किया जाएगा।
- b) चिन्हित गंभीर बीमारियों एवं अंग प्रत्यारोपण के मामले में चिकित्सा के क्रम में O.P.D/Follow-up चिकित्सा, दवा क्रय पर होने वाले व्यय का भुगतान वास्तविक दर पर Trust Mode में झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के तहत संधारित कॉरपस फण्ड (Corpus fund) से की जाएगी तथा अन्य सभी प्रकार के चिकित्सा के क्रम में 15 दिनों का Pre एवं 30 दिनों का पोस्ट Hospitalization, फॉलो-अप ट्रीटमेंट, कन्सलटेशन फीस एवं दवाईयों का व्यय, CGHS के अनुरूप procedure/दर पर मान्य होगा जिस पर हुए व्यय का भुगतान चयनित बीमा कम्पनी द्वारा किया जायेगा।
- c) संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को स्वयं के साथ एक सहचर को TA Rules के अनुसार अनुमान्य रेलयात्रा/ वायुयान यात्रा/ रोड एम्बुलेंस पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति प्रशासी विभाग के द्वारा तथा सेवानिवृत्त कर्मियों को उनके सेवानिवृत्ति के समय अनुमान्य TA Rules के अनुसार स्वयं के साथ एक सहचर के लिए झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के तहत संधारित कॉरपस फण्ड (Corpus fund) से की जाएगी।
- d) संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आयुष चिकित्सा पद्धति से गैर आवासीय करायी गयी चिकित्सा भी अनुमान्य होगी। उक्त चिकित्सा पर हुए व्यय का वहन झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी स्तर पर संधारित कॉरपस फण्ड (Corpus fund) से CGHS दर पर किया जाएगा।

लक्ष्मण शर्मा - 06/13
दि- 04.01.2026

for

महाराज

शर्मा

- e) कार्यरत सरकारी कर्मी एवं उनके आश्रितों को आकस्मिक दुर्घटना अथवा गंभीर बीमारी के मामले में ईलाज कराने के निमित्त झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के स्तर से अधिकतम 5 लाख रु० की चिकित्सा अग्रिम (कैशलेस चिकित्सा को छोड़कर) की स्वीकृति दी जा सकेगी जिसका समायोजन ईलाज के क्रम में प्रथमतः किया जा सकेगा। अग्रिम देने का SOP झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के द्वारा तैयार कर माननीय विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
- f) 40 वर्ष के ऊपर के पदाधिकारियों/कर्मियों एवं उनके Spouse का प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार सरकारी अस्पताल में Medical Check-up की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जायेगी। इस हेतु विभाग द्वारा अलग से SOP जारी किया जाएगा।
5. झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी स्तर पर संधारित कॉरपस फण्ड (Corpus fund) से भुगतान, शिकायत, निवारण, एयर एम्बुलेंस, रोड एम्बुलेंस, यात्रा भत्ता, रिवोल्विंग फण्ड (Revolving Fund), अग्रिम का प्रावधान, गंभीर बीमारी की चिकित्सा एवं अंग प्रत्यारोपण आदि से संबंधित SOP (Standard Operating Procedure) आवश्यकतानुसार माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के अनुमोदनोपरान्त पृथक रूप से जारी किया जाएगा।
6. 01 मार्च, 2025 से उपर्युक्त कंडिका-4 में वर्णित चिकित्सा व्यवस्था लागू होने तक एवं नये बीमा कंपनी के चयन होने तक लाभुकों द्वारा करायी गयी चिकित्सा के क्रम में वास्तविक दावा के विरुद्ध CGHS दर पर प्रतिपूर्ति की गयी राशि के अंतर राशि का भुगतान/समायोजन निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी, झारखण्ड के कॉरपस फण्ड से की जायेगी।
7. विभागीय संकल्प सं०-13(13) दिनांक 24.01.2025 के प्रभावी तिथि से ही यह संशोधन लागू समझा जाएगा।
8. उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 09.01.2026 के मद संख्या 23 के तहत् स्वीकृति प्राप्त है।
9. इस संदर्भ में पूर्व से निर्गत संबंधित परिपत्र/संकल्प/अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अजय कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

राँची, दिनांक: 09.01.2026

ज्ञापांक : 13/आर-01-36/2012(खण्ड-1) 06(13)

प्रतिलिपि : विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई-गजट/उप सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी विभागीय वेबसाईट, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

राँची, दिनांक: 09.01.2026

ज्ञापांक : 13/आर-01-36/2012(खण्ड-1) 06(13)

प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

M.

अपर

अपर

ज्ञापांक : 13/आर-01-36/2012(खण्ड-1)

06 (13)

अपर मुख्य सचिव
राँची, दिनांक: 09.01.2026

प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के आप्त सचिव/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक : 13/आर-01-36/2012(खण्ड-1)

06 (13)

अपर मुख्य सचिव
राँची, दिनांक: 09.01.2026

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, एन0एच0एम0/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/कार्यकारी निदेशक, जसास/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ निदेशक, रिम्स/निदेशक, रिनपास/ प्राचार्य/अधीक्षक, एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जमशेदपुर/प्राचार्य/ अधीक्षक, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद/ प्राचार्य/ अधीक्षक, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हजारीबाग/ प्राचार्य/अधीक्षक, फूलो-झानों मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका/प्राचार्य/ अधीक्षक, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पलामू/सभी सिविल सर्जन/सभी कोषागार पदाधिकारी/चिकित्सा संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अ-

अ-

अ-

अपर मुख्य सचिव

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

विषय—राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने के संबंध में।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं०-185(13) दिनांक-31.07.2023 द्वारा राज्य के कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किए जाने के क्रम में झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के Web Portal पर लाभुकों एवं उनके आश्रितों से संबंधित जानकारी आवेदन प्रपत्र के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त की जा रही थी, परन्तु प्राप्त आवेदनों की Scrutiny के क्रम में कतिपय त्रुटियाँ पाई गईं। उक्त के मद्देनजर Web Portal पर पुनः रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक प्रतीत होता है, जिसमें वर्तमान में कार्यरत सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी के आवेदन प्रपत्र को संबंधित DDO द्वारा ऑनलाईन Validation की व्यवस्था सुनिश्चित हो, जिससे त्रुटि होने की संभावना नगण्य होगी तथा वास्तविक डाटा प्राप्त हो सकेगा। उक्त के आलोक में संकल्प सं०-185(13) दिनांक-31.07.2023 के क्रम में राज्य कर्मियों/सेवानिवृत्त कर्मियों एवं अन्य को स्वास्थ्य बीमा योजना से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है।

3. स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभूक वर्ग निम्न प्रकार होंगे :-

I. Category A

- (a) राज्य विधान सभा के वर्तमान माननीय सदस्य।
- (b) राज्य के सभी सेवाओं के कर्मी।

II. Category B


इस वर्ग में निम्न पदाधिकारी/कर्मी निर्धारित बीमा राशि का भुगतान कर स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकेंगे, जो पूर्णतः ऐच्छिक होगी :-

- (a) राज्य के सभी सेवाओं के सेवानिवृत्त कर्मी/पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता एवं उनके आश्रित।
- (b) राज्य विधान सभा के पूर्व माननीय सदस्य।
- (c) अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवारत/सेवानिवृत्त पदाधिकारी।
- (d) राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड/निगम/संस्थान/संस्था में कार्यरत/सेवानिवृत्त नियमित कर्मी।
- (e) राजकीय विश्वविद्यालयों एवं उनके अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षकगण एवं शिक्षकेत्तर कर्मी।

उक्त वर्ग अन्तर्गत आने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों का ऑनलाईन Validation की SOP (Standard Operating Procedure) विभाग स्तर पर निर्धारित की जायेगी।

III. Category C

विधि विभाग के संकल्प सं०-2152 दिनांक-18.09.2024 द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के स्तर पर गठित झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है।



AK.

13 (13)
24/01/2025

उक्त निर्णय के आलोक में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के स्तर पर गठित झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। निबंधित अधिवक्ताओं का ऑनलाईन Validation झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के सचिव द्वारा किया जायेगा।

वर्तमान में वार्षिक प्रीमियम की राशि ₹0 6000/- प्रति निबंधित अधिवक्ता का एकमुश्त भुगतान झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति द्वारा झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी (JSAS) को किया जाएगा। समय-समय पर विभाग के द्वारा प्रीमियम की राशि अधिसूचित की जायेगी।

IV. Category 'A', 'B' एवं 'C' के आश्रितों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा तथा आश्रित की परिभाषा निम्न प्रकार होगी:-

आश्रित:-पति/पत्नी/पुत्र/वैध दत्तक पुत्र (25 वर्ष की आयु तक बशर्तें बेरोजगार हो), पुत्री (अविवाहित/विधवा/परित्यक्ता पुत्री) नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन एवं आश्रित माता-पिता (पेंशनर के मामले में प्रतिमाह ₹0 9000/- और उस पर तत्समय अनुमान्य महंगाई राहत (Dearness Relief) से कम पेंशन प्राप्त करने वाले)।

दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। महिला कर्मियों के मामले में माता-पिता अथवा सास-ससुर में से कोई एक पक्ष ही आश्रित की श्रेणी में होंगे।

पति-पत्नी दोनों के राज्य सरकार के कर्मी होने की स्थिति में दोनों एक दूसरे को आश्रित की श्रेणी में नहीं दर्शा सकते हैं तथा उनके बच्चे दोनों में से किसी एक के ऊपर ही आश्रित माने जायेंगे।

4. वर्तमान में राज्य सरकार के सभी कर्मियों को प्रति माह 1000 रुपये चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के सभी कर्मियों को ₹0 500/- प्रतिमाह की दर से वर्तमान में कुल 6000/- (छः हजार) रूपया वार्षिक प्रीमियम की राशि की कटौती कर ली जायेगी। बीमा हेतु प्रीमियम की राशि समय-समय पर विभाग के द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। इस योजना के लाभुक हो जाने के उपरांत भी राज्य सरकार के द्वारा ऐसे सभी सरकारी कर्मियों को देय चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह ₹0 1000/- में से 500/-रूपये प्रति माह चिकित्सा भत्ता का भुगतान ओपीडी/ जाँच/दवा आदि हेतु पूर्ववत् किया जाएगा। उक्त के अनुरूप माह मार्च 2025 के वेतन विपत्र के माध्यम से 1000/रु0 प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता के स्थान पर 500/रु0 प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा।

5. Category 'B' के लाभूकों द्वारा वर्तमान में निर्धारित वार्षिक प्रीमियम की राशि ₹0 6000/- (छः हजार) रूपये का एकमुश्त भुगतान उनके द्वारा स्वयं Payment Gateway के माध्यम से किया जा सकेगा। समय-समय पर विभाग के द्वारा प्रीमियम की राशि अधिसूचित की जायेगी।

6. वर्तमान में वार्षिक प्रीमियम की दर ₹0 4850/- (चार हजार आठ सौ पचास) निविदा के माध्यम से निर्धारित की गयी है। अतः लाभूकों द्वारा जमा की गयी राशि वार्षिक प्रीमियम की राशि ₹0 6000/- में से निर्धारित प्रीमियम की राशि के अतिरिक्त शेष बची राशि का प्रयोग झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के द्वारा संधारित कॉरपस फण्ड के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय हेतु किया जायेगा।

7. चयनित बीमा कम्पनी द्वारा लाभूकों एवं उनके आश्रितों को PVC Health card निःशुल्क निर्गत किया जायेगा।

13(13)

24/01/2025

2

2

21.


8. चयनित बीमा कम्पनी के द्वारा स्थापित प्रक्रियानुसार अपनी निधि से 50 करोड़ का कॉरपोरेट बफर (Corporate Buffer) संधारित किया जायेगा।
9. स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत लाभूकों एवं उनके आश्रितों एक परिवारिक ईकाई मानते हुए प्रति परिवार प्रति वर्ष पाँच लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जायेगा। चिन्हित गंभीर बीमारी, जो Annexure "A" के रूप में संलग्न है, के मामलों में चिकित्सा प्रदान करने वाले सम्बंधित अस्पताल की अनुशंसा पर 50 करोड़ रुपये के संधारित कॉरपोरेट बफर (Corporate Buffer) में से ऐसी गंभीर बीमारियों की चिकित्सा पर 05 लाख रुपये तक की अतिरिक्त अधिसीमा अर्थात् कुल 10 लाख रुपये की अधिसीमा तक की चिकित्सा पर हुये व्यय का वहन किया जाएगा।
10. झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के स्तर पर किसी वीमित कर्मी के बीमा राशि से अधिक राशि का चिकित्सा व्यय होने की स्थिति में अतिरिक्त चिकित्सा व्यय वहन हेतु एक कॉरपस फण्ड (Corpus Fund) संधारित किया जायेगा, जिससे ऐसे मामलों में भुगतान किया जा सकेगा।
11. राज्य कर्मियों/सेवानिवृत्त कर्मियों दुर्घटनाग्रस्त अथवा मरणासन्न स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल उच्चतर संस्थान में उपचार हेतु रेफर किए जाने की स्थिति में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से स्वीकृति/घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत विशेष परिस्थिति में एयर एम्बुलेंस/वायुयान यात्रा की अनुमान्यता प्रदान करने हेतु प्रशासी विभाग द्वारा आदेश निर्गत किया जा सकेगा। उक्त व्यय का वहन झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी (JSAS) के स्तर पर संधारित कॉरपस फण्ड से नियमानुसार किया जाएगा।
12. केन्द्र सरकार के कर्मियों को CGHS (Central Government Health Scheme) अन्तर्गत असीमित चिकित्सीय सुविधा का लाभ नियमानुसार दिये जाने का प्रावधान है। इसी तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा भी Category 'A' एवं 'B' में वर्णित लाभूकों को सामान्य मामले में 05 (पाँच) लाख रुपये की अधिसीमा समाप्त होने के पश्चात् होने वाले चिकित्सीय व्यय की भी भुगतान/प्रतिपूर्ति चयनित बीमा कम्पनी की अनुशंसा पर झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी (JSAS) द्वारा Trust Mode में कॉरपस फण्ड (Corpus Fund) से की जायेगी। इसी तरह गंभीर बीमारी के मामले में भी 10 (दस) लाख रुपये की अधिसीमा की समाप्ति के उपरांत होने वाले चिकित्सा व्यय का भुगतान प्रतिपूर्ति बीमा कम्पनी की अनुशंसा पर झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी (JSAS) द्वारा Trust Mode में कॉरपस फण्ड (Corpus Fund) से की जायेगी।
13. Category 'C' में वर्णित लाभूकों को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संकल्प ज्ञापांक-185(13) दिनांक-31.07.2023 की कंडिका-3(i) के आलोक में स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
14. स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी प्रकार के चिकित्सा के क्रम में 15 दिनों का Pre एवं 30 (तीस) दिनों का Post Hospitalization एवं Follow-up Treatment भी मान्य होगा। चयनित बीमा कम्पनी द्वारा उक्त चिकित्सा पर हुए व्यय का भुगतान किया जायेगा।
15. यदि लाभूक के द्वारा स्वयं एवं अपने आश्रितों का निजी/सरकारी बीमा कम्पनी से स्वास्थ्य बीमा कराया गया है तो वैसे स्थिति में भी लाभूक एवं आश्रित इस योजना के पात्र होंगे।

13(13)
24/01/2025


1 -
AM
प्र.

प्र.


16. (a) स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कॉरपस फण्ड के तहत चिन्हित कार्यरत कर्मियों का वेतन/मानदेय, वायुयान यात्रा/एयर एम्बुलेस पर हुये व्यय एवं अन्य अनुवर्ती व्यय आदि का वहन स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत संधारित निम्न बजट शीर्ष से किया जाएगा:-
- मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-001(796 सहित)-निदेशन और प्रशासन-उपशीर्ष-A7-स्वास्थ्य बीमा योजना-06-अनुदान-48-अंशदान।
- (b) स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य विधान सभा के वर्तमान माननीय सदस्यों तथा सरकारी राज्य कर्मियों के लिए प्रीमियम भुगतान पर होने वाले व्यय का वहन स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत संधारित निम्न बजट शीर्ष से किया जाएगा :-
- मुख्यशीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-001(796 सहित)-निदेशन और प्रशासन-उपशीर्ष-A9-सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य बीमा हेतु प्रीमियम-06-अनुदान-48-अंशदान।
17. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ की अनुशंसा पर विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरांत गंभीर बीमारी का आवश्यकतानुसार चिह्नितकरण कर गंभीर बीमारी के सूची में सम्मिलित किया जायेगा।
18. गंभीर बीमारी यथा-Organ Transplant के मामले में Doner का चिकित्सा व्यय Trust Mode से अनुमान्य होगा।
19. स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत उत्पन्न किन्हीं जटिलताओं/शंकाओं/विवादों की स्थिति में विभागीय प्रधान के स्तर से समाधान किया जा सकेगा।
20. स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया से संबंधित SOP (Standard Operating Procedure) पृथक रूप से माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरांत जारी किया जायेगा।
21. उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-21.01.2025 के मद सं0-14 के तहत स्वीकृति प्राप्त है।
22. इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत सभी आदेश/संकल्प/परिपत्र इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 13/आर-01-36/2012(खण्ड) 13(13) राँची, दिनांक: 24/01/2025
प्रतिलिपि : विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई-गजट/उप सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी विभागीय वेबसाईट, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची प्रेषित।


अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 13/आर-01-36/2012(खण्ड) 13(13) राँची, दिनांक: 24/01/2025
प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।



अपर मुख्य सचिव

३२.

ज्ञापांक : 13/आर-01-36/2012(खण्ड) 13(13)

राँची, दिनांक: 24/01/2025

प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।



अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 13/आर-01-36/2012(खण्ड) 13(13)

राँची, दिनांक: 24/01/2025

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, एन0एच0एम0/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/कार्यकारी निदेशक, जसास/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/निदेशक, रिम्स/निदेशक, रिनपास/प्राचार्य/अधीक्षक, एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जमशेदपुर/प्राचार्य/अधीक्षक, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद/प्राचार्य/अधीक्षक, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हजारीबाग/प्राचार्य/अधीक्षक, फूलो-झानों मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका/प्राचार्य/अधीक्षक, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पलामू/सभी सिविल सर्जन/सभी कोषागार पदाधिकारी/चिकित्सा संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।







अपर मुख्य सचिव

श्री.


Annexure –“A”

स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गंभीर बीमारियों की सूची :-

i.	All types of Cancer/Chemotherapy/Oral chemotherapy
ii.	Organ Transplantation
iii.	Kidney Diseases/Kidney Transplantation
iv.	Liver Diseases/Liver Transplantation
v.	Acid Attack
vi.	Wiskott aldrich syndrome
vii.	Thalassaemia, Blood dyscrasia
viii.	Bone Marrow Transplant
ix.	Plastic Surgery in case of post trauma deformity & Burn cases
x.	Retinal Detachment
xi.	Serious Head Injury with Craniotomy + Critical care
xii.	Heart Diseases/Coronary Artery Bypass Grafting/Intra aortic Ballon Pump (CABG+IABP)/Open Heart Surgery
xiii.	Continuous renal replacement therapy in acute failure in ICU patient
xiv.	Proliferative diabetic retinopathy
xv.	Operation of trachea oesophageal fistula
xvi.	Meningoencephalocele surgery
xvii.	Penetrating keratoplasty
xviii.	Brain haemorrhage
xix.	Congenital deformities including facial clefts, microtia hemifacial, microsomia, teacher Collins syndrome, cronion synostosis, ectopia vasia
xx.	Cochlear implant
xxi.	Duchenne Muscular dystrophy
xxii.	Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma
xxiii.	Diseases related to Blood Disorder
xxiv.	Neurosurgery
xxv.	Total Replacement of Joints

13(13)

24/01/2025





झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
संकल्प

विषय:-राज्य कर्मियों/सेवा निवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने एवं इस पर होनेवाले व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में वित्त विभाग के पत्रांक 261 दिनांक 29 जनवरी 2004 तथा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक- 354(10) दिनांक 15.09.2006 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी।

2. राज्य के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने एवं इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित नई प्रक्रिया निरूपित किए जाने के उद्देश्य से उक्त निरूपित प्रक्रिया में कतिपय संशोधन के साथ विभागीय संकल्प सं0-753(6) दिनांक 25.10.2014 निर्गत किया गया, जिसके तहत राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रतिमाह दिये जा रहे 300/- रू0 चिकित्सा भत्ता को समाप्त करते हुए इसके स्थान पर अधिकतम 6000/- रू0 तक की वार्षिक प्रीमियम पर स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था दिये जाने का निर्णय लिया गया।

यह सुविधा वैसे सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों के लिए उपलब्ध कराये जाने का भी निर्णय लिया गया, जो प्रीमियम का भुगतान स्वयं करना चाहेंगे।

3. उक्त संकल्प संख्या-753(6) दिनांक 25.10.14 के आलोक में सेवारत राज्यकर्मियों एवं सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों के लिए वार्षिक प्रीमियम पर स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा उन्हें अबतक प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उक्त संकल्प के कार्यान्वयन के क्रम में झारखण्ड विधान सभा की प्रत्यायुक्त समिति की बैठक में दिए गए निदेश के क्रम में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा राज्य के कर्मियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन के बिन्दु पर राज्य के विभिन्न सेवा संघों एवं महासंघों से प्राप्त सुझाव/मंतव्य तथा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य कर्मियों एवं अन्य को निम्नरूपेण स्वास्थ्य बीमा योजना से आच्छादित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(i) राज्य विधान सभा के वर्तमान माननीय सदस्य/राज्य की सभी सेवाओं के कर्मियों/सेवानिवृत्त कर्मियों तथा उनके परिवार के उनपर आश्रित सदस्यों, जिनमें उनके पति/पत्नी, पुत्र/वैध दत्तक पुत्र (25 वर्ष की आयु तक बशर्तें बेरोजगार हो), पुत्री (अविवाहित/विधवा/परित्यक्ता पुत्री)/नाबालिग भाई एवं अविवाहित बहन एवं आश्रित माता-पिता (प्रतिमाह 9000/ और उस पर तत्समय अनुमान्य महंगाई राहत से कम पेंशन प्राप्त करने वाले) सम्मिलित होंगे, को सम्मिलित रूप से 05 (पाँच) लाख रुपये प्रतिवर्ष की अधिसीमा के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।

राज्य कर्मियों/सेवानिवृत्त कर्मियों के दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा।

उपर्युक्त क्रम में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विधिवत् चिन्हित गंभीर बीमारियों की चिकित्सा हेतु चयनित बीमा कंपनी के द्वारा स्थापित प्रक्रियानुसार अपनी निधि से 50 (पचास) करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट बफर (Corporate Buffer) संधारित किया जाएगा, जिस क्रम में ऐसी गंभीर बीमारियों की चिकित्सा पर

होने वाला व्यय 05 (पाँच) लाख रूपए की अधिरीमा से अधिक होने की स्थिति में अतिरिक्त 05(पाँच) लाख रूपए तक की अतिरिक्त अधिरीमा के अन्तर्गत स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की सहमति से संबंधित बीमा कंपनी के द्वारा ऐसे अतिरिक्त व्यय का भी वहन किया जाएगा।

(ii) इसके अलावा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने हेतु यथा निर्धारित बीमा राशि का भुगतान कर निम्न वर्णित विधान सभा के पूर्व गाननीय सदस्य/पदाधिकारी/कर्मि सम्मिलित हो सकते हैं :

(क) राज्य विधान सभा के पूर्व गाननीय सदस्य।

(ख) अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवारत/सेवानिवृत्त एवं राज्य की अन्य सेवाओं के सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मचारी।

(ग) राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड/निगम/संस्थान/संस्था में कार्यरत/सेवानिवृत्त नियमित कर्मि।

(घ) राजकीय विश्वविद्यालयों एवं उनके अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षकगण एवं शिक्षकेत्तर कर्मि।

(iii) वर्तमान में राज्य सरकार के सभी कर्मियों/सेवानिवृत्त कर्मियों को प्रति माह 1000 रूपये चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। इस योजना के लाभुक हो जाने के उपरान्त राज्य सरकार के द्वारा ऐसे सभी कर्मियों/सेवानिवृत्त कर्मियों को 500 रूपये प्रति माह चिकित्सा भत्ता का भुगतान ओपीडी/जॉच/दवा आदि हेतु पूर्ववत् किया जाएगा।

(iv) प्रीमियम भुगतान, कॉरपस निधि एवं अन्य अनुवर्ती व्ययों हेतु स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा एक पृथक बजटीय शीर्ष का सृजन करते हुए किया जाएगा जिसमें राज्य सरकार के द्वारा समुचित बजट उपलब्ध कराया जाएगा। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 100 (एक सौ) करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध करायी जायेगी तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जाएगा।

(v) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत स्थापित झारखण्ड राज्य आरोग्य समिति के स्तर से खुली निविदा के माध्यम से राज्य कर्मि एवं पेंशनधारकों के चिकित्सा बीमा हेतु बीमा कंपनी का चयन किया जाएगा, जिसके साथ झारखण्ड राज्य आरोग्य समिति के द्वारा एकरारनामा करते हुए स्वास्थ्य बीमा संबंधी समस्त कार्रवाई की जाएगी।

इस क्रम में प्रकाशित की जाने वाली निविदा में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन-आरोग्य योजना के कार्यान्वयन हेतु यथा निर्धारित एवं सुसंगत प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

- (vi) राज्य कर्मियों/सेवानिवृत्त कर्मियों के गंभीर रूप से बीमार/दुर्घटनाग्रस्त अथवा मरनासन्न स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल उच्चतर संस्थान में उपचार हेतु रेफर किये जाने की स्थिति में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत विशेष परिस्थिति में एयर एंबुलेंस/वायुयान यात्रा की अनुमान्यता होगी, जिसके खर्च का वहन झारखण्ड राज्य आरोग्य समिति के स्तर पर संधारित कॉरपस फंड से नियमानुसार किया जाएगा।
- (vii) उपर्युक्त कंडिका के आलोक में झारखण्ड राज्य आरोग्य समिति के स्तर पर संधारित कॉरपस फंड के माध्यम से किसी बीमित कर्मों के बीमा राशि से अधिक राशि का चिकित्सा व्यय होने की स्थिति में अतिरिक्त चिकित्सा व्यय का नियमानुसार वहन किया जाएगा।
बीमित राशि का भुगतान संबंधित बीमा कंपनी करेगी तथा बीमित राशि से अधिक राशि का भुगतान कॉरपस फंड के माध्यम से बीमा कंपनी को किया जाएगा।
- (viii) राज्य के बाहर चिकित्सा के क्रम में यात्रा के लिए संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके एक सहयोगी को सिर्फ अनुमान्य यात्रा भत्ता ही देय होगा। इस यात्रा के लिए रोड माइलेज, इन्सिडेन्टल चार्ज, विश्राम भत्ता देय नहीं होगा।
- (ix) झारखण्ड राज्य आरोग्य समिति के द्वारा संप्रति संचालित आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रक्रिया अपनाते हुए राज्य के अंदर एवं बाहर के अस्पतालों का सूचीकरण, झारखण्ड सरकारी कर्मों स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड निर्गत करने, अस्पतालों को ससमय भुगतान करने, सुगम चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने, आदि समस्त कार्य इस योजना के सफल संचालन हेतु संपन्न किए जाएंगे।
4. उपर्युक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 25.07.2023 के मद सं0-10 के तहत स्वीकृति प्राप्त है।
5. इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत सभी आदेश/संकल्प/परिपत्र इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 13/आर-01-36/2012(खण्ड) 185 (13)

राँची, दिनांक: 31.7.2023

प्रतिलिपि : विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई-गजट/उप सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी विभागीय वेबसाईट, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 13/आर-01-36/2012(खण्ड) 185 (13)

राँची, दिनांक: 31.7.2023

प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 13/आर-01-36/2012(खण्ड) 185 (13) राँची, दिनांक: 31/7/2023
 प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के आप्त सचिव/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 13/आर-01-36/2012(खण्ड) 185 (13) राँची, दिनांक: 31/7/2023
 प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, एन0एच0एम0/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/कार्यकारी निदेशक, जसास/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ निदेशक, रिम्स/निदेशक, रिनपास/ प्राचार्य/अधीक्षक, एम0जी0एम0 चि0 महा0 एवं अस्पताल जमशेदपुर/प्राचार्य/अधीक्षक, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद/ प्राचार्य/ अधीक्षक, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हजारीबाग/ प्राचार्य/अधीक्षक, फूलो-झानों मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका/प्राचार्य/ अधीक्षक, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पलामू/सभी सिविल सर्जन/सभी कोषागार पदाधिकारी/चिकित्सा संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव